



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU -560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 582 का संशोधन सहित नवीकरण**

**Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 582**

**विषय/Sub: ग्रेफाईट बुश, पार्ट सं. 9521852-00 और ग्रेफाईट रिंग, पार्ट सं. 9521853-00**

**Graphite Bush, Part No.: 9521852-00 and Graphite Ring, Part No.: 9521853-00**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सं. 2, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एरिया, फेस- 1, पतंचेरू - 502319, मेदक जिला, तेलंगाना द्वारा विकसित तथा उत्पादित " ग्रेफाईट बुश, पार्ट सं. 9521852-00 और ग्रेफाईट रिंग, पार्ट सं. 9521853-00" को संदर्भ सं. एयरो/आरडी-132/117/6/2, दिनांक 21 नवम्बर 1989 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 582 जारी किया गया था तदुपरान्त संदर्भ सं. सेमिलाक/ 5070/ टीए-582/ 5आर दिनांक 13 सितम्बर 2012 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक थी।

*This is to state that the "Graphite Bush, Part No.: 9521852-00 and Graphite Ring, Part No.: 9521853-00", developed and manufactured by M/s Assam Carbon Products Limited, No.2, Industrial Development Area, Phase - 1, Patancheru - 502 319, Medak District, Telangana, was issued with Type Approval Number: 582 vide Reference Number: AERO/RD-132/117/6/2, dated: 21<sup>st</sup> November 1989. Subsequently renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-582/5R, dated: 13<sup>th</sup> September 2012 and with its validity up to 30<sup>th</sup> June 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कोरापुट), सेमिलैक, सुनाबेडा - 560 017, से अनुरोध करना होगा।

पृष्ठ/Page 01 of 02

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> October 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> September 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), CEMILAC, Sunabeda-763 002 (Orissa), three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. एयरो/आरडी-132/117/6/2, दिनांक 21 नवम्बर 1989 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद छः (06) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para six (06) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: AERO/RD-132/117/6/2, dated: 21<sup>st</sup> November 1989 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru -560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-582/6R

दिनांक / Date: 31 October 2017

फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

27/10/17 AR  
27/10/17

  
(पी . जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)